प्ररूप संख्या आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

बोएस्टलपाइन बोहलर वैल्डिंग इंडिया टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

(सीआईएन: U74899DL 1994PTC059079) जिसका पंजीकृत कार्यालय: **कार्यालय संख्या 201डी, द्वितीय तल, डी–21, कॉर्पोरेट पार्क, सैक्टर–21, द्वारका सैक्टर–8 मेट्रो स्टेशन के पास, द्वारका, नई दिल्ली – 110075,** भारत में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"राजस्थान राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **11 फरवरी, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** में **शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

कार्यालय संख्या 201डी, द्वितीय तल, डी–21, कॉर्पोरेट पार्क, सैक्टर–21, द्वारका सैक्टर–8 मेट्रो स्टेशन के पास, द्वारका, नई दिल्ली – 110075, भारत

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
बोएस्टलपाइन बोहलर वैल्डिंग इंडिया टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
एबी जोसेफ (प्रबंध निदेशक)
डीआईएन : 02677991

दिनांक: 23.02.2026
स्थान : दिल्ली

प्ररूप संख्या आइएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक दिल्ली, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में,

और

नंदगोपाल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय: **के–5/132, मोहन गार्डन, पश्चिम दिल्ली, उत्तम नगर, दिल्ली, 110059** में स्थित है, के मामले में।

.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए **शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह **एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** में निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर जमा कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विरोध के कारणों का उल्लेख करते हुए हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियां पंजीकृत डाक द्वारा **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I** को **बी–2 विंग, दूसरी मंजिल पं दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली– 110003** पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **चौदह (14) दिनों** के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें।

पंजीकृत कार्यालय: के–5/132, मोहन गार्डन, पश्चिम दिल्ली, उत्तम नगर, दिल्ली, 110059

बोर्ड की ओर से
नंदगोपाल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, के लिए
अवध बिहारी दत्ता
निदेशक
डीआईएन: 07258237

दिनांक: 24.02.2026
स्थान : दिल्ली

IndiaShelter Home Loans

पंजीकृत कार्यालय: 6वीं मंजिल, प्लॉट सं. 15, सेक्टर–44, गुरुग्राम–122002, हरियाणा

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("इंडिया शेल्टर"), जिसका काशीपुर कार्यालय "**प्रथम तल, गुरुद्वारे के सामने, पंजाब नेशनल बैंक के पास, चैती फार्म, बाजपुर रोड, काशीपुर, उत्तराखंड–244713**" में स्थित है, दिनांक 31-05-2026 से बंद किया जा रहा है तथा इसके पश्चात, बेहतर स्थान और ग्राहकों से बेहतर जुड़ाव प्राप्त करने के उद्देश्य से हम काशीपुर स्थित अपने अन्य कार्यालय से काम करेंगे।

हालांकि, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इससे आपकी खाता सेवा पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऋण खाते से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए, आप हमारे टोल–फ्री नं. 18005728888 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, हमने श्री आदिल अली को स्थानीय सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया है। उनसे इंडिया शेल्टर, काशीपुर शाखा के मोबाइल नंबर 99975 15930 पर संपर्क किया जा सकता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको हर समय सर्वोत्तम सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।

किसी भी पूछताछ के लिए, कृपया उपरोक्त संपर्क नं. पर हमारी इंडिया शेल्टर शाखा से बेझिझक संपर्क करें।

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
की ओर से और उनके लिए
हस्ता./– अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
दिनांक: 24-02-2026

फॉर्म सं. INC-26

[कंपनियाँ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अधीन]

केंद्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनियाँ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(a) के अंतर्गत
एवं
विषय में CICADA GREEN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED (CIN: U93000DL2010PTC203790)
जिसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है: RZ-109, द्वितीय तल, फ्रंट साइड, इंदिरा पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059, भारत ...आवेदक

सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि कंपनी ने 12 फरवरी, 2026 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार अपनी स्मृति-पत्र (Memorandum of Association) में संशोधन की पुष्टि हेतु कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव किया है, ताकि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित किया जा सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो सकता है, वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर या शपथपत्र सहित अपनी आपत्ति, जिसमें उसके हित की प्रकृति तथा विरोध के आधार का उल्लेख हो, पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 को प्रेषित कर सकता है तथा उसकी प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निम्न पते पर भेजी जानी आवश्यक है: RZ-109, द्वितीय तल, फ्रंट साइड, इंदिरा पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059, भारत.

आवेदक की ओर से
CICADA GREEN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
Sd/-
विकास कुमार गुप्ता
निदेशक - DIN: 06771652

दिनांक: 24.02.2026
स्थान: नई दिल्ली

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

रॉ मटेरियल डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड

(सीआईएन: U74999DL2017PTC316434) जिसका पंजीकृत कार्यालय: **ऑफिस नंबर 2, ग्राउंड फ्लोर, बी–48, वेस्ट विनोद नगर, मंगलम हॉस्पिटल के पास, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली, इंडिया, 110092** में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"राजस्थान राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **17 जनवरी, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र1, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

ऑफिस नंबर 2, ग्राउंड फ्लोर, बी–48, वेस्ट विनोद नगर, मंगलम हॉस्पिटल के पास, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली, इंडिया, 110092

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
रॉमटेरियल डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
दुष्यंत बंसल (निदेशक)
डीआईएन : 07781633

दिनांक : 23.02.2026
स्थान : दिल्ली

फॉर्म संख्या 14

[विनियम 33(2) देखें]

रजि.ए/डी , दस्ती द्वारा ऐसा न करने पर प्रकाशन द्वारा।

कार्यालय-वसूली अधिकारी- I/II
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी1)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची के प्रावधान के तहत अचल संपत्ति की कुर्की के लिए कारण बताओ

टीआरएस /439/2023 **24–11–2025**

पंजाब नेशनल बैंक बनाम एम बी इम्पेक्स

सेवा में ,

(सीडी 1) मेसर्स एम बी इम्पेक्स, प्रोप के माध्यम से, मंजू आनंद, पता 9680 इस्लाम गंज आनंद विहार नई दिल्ली 110096

(सीडी 2) मंजू आनंद, 1463/23, नाइवाला, करोलबाग, दिल्ली – 110005

अन्य पते: 748/23, बेसमेंट, जोशी रोड, करोलबाग, दिल्ली 110005

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी,ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) द्वारा टीए/2676/2022 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, **रु.2938977.00** की राशि एवं 04/07/2013 से वसूली तक @13% की दर से लंबित ब्याज और भविष्य के ब्याज और **रु. 32000 (बत्तीस हजार रुपये मात्र)** की लागत (संयुक्त रूप से और अलग–अलग/पूर्ण/सीमित) आप पर बकाया हो गई है।

2. आपको दिनांक 26.02.2026 को सुबह 10.30 बजे ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के वसूली अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण बताने का निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त संपत्ति को कुर्क क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आपको अगले आदेश तक इस संपत्ति में किसी भी तीसरे पक्ष का हित स्थापित करने से भी रोका जाता है।

संपत्ति का विवरण	संपत्ति का प्रकार
अचल संपत्ति,	संपत्ति संख्या 223, चौथी मंजिल, ब्लॉक–I, साउथ सिटी–II, गुरुग्राम, हरियाणा

3. ध्यान दें कि चूक करने पर, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

मेरे हाथ और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत,दिया गया आदेश : **24.11.2025**

निरंजन शर्मा
वसूली अधिकारी II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी1)

ADITYA BIRLA CAPITAL

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266
शाखा कार्यालय: नं. एफ/17, प्रथम तल, विजया बिल्डिंग बाराखंबा रोड, नई दिल्ली – 110001

परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1) देखें)
कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के तहत **आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **उधारकर्ताओं को नीचे वर्णित दिनांक को** मांग सूचना जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का **प्रतिभुगतान** करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार वास्ते नीचे वर्णित राशि उस पर **और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित** के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

1. उधारकर्ता का नाम: मधु बाला, राम सरन दास,अर्जुन अग्रवाल और गोपी ड्राई फ्रूट्स स्टोर
बकाया: रु. 36,37,605.20/– (रुपये छत्तीस लाख सैंतीस हजार छह सौ पांच और पैसे बीस मात्र)
मांग नोटिस दिनांक: 12–12–2025 कब्जे की तारीख: 21.02.2026

अचल संपत्ति का विवरण

सूची नं. 1: पूर्ण निर्मित तृतीय तल का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि (बिना छत/टैरेस अधिकार के) जिसका क्षेत्रफल 89.46 वर्ग मी., निर्मित संपत्ति नगरपालिका सं. 945 का हिस्सा वार्ड नं. VIII, नई बस्ती, कुचा पति राम, बाजार सीता राम, दिल्ली–110006

सूची नं. 2: पूर्ण निर्मित द्वितीय तल का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि (बिना छत/टैरेस अधिकार के) जिसका क्षेत्रफल 89.46 वर्ग मी., निर्मित संपत्ति नगरपालिका सं. 945 का हिस्सा वार्ड नं. VIII, नई बस्ती, कुचा पति राम, बाजार सीता राम, दिल्ली–110006

1. उधारकर्ता का नाम: प्रदीप प्रदीप और प्रियंका प्रियंका
बकाया: रु. 1,00,07,746.00/– (रुपये एक करोड़ सात हजार सात सौ छियालीस मात्र)
मांग नोटिस दिनांक: 10–12–2025 कब्जे की तारीख: 21.02.2026

अचल संपत्ति का विवरण

डीडीए निर्मित फ्री होल्ड एमआईजी फ्लैट नं. 46 का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि द्वितीय तल, क्षेत्रफल 70 वर्ग मी., ब्लॉक एवं पॉकेट डी–5, सेक्टर–15, रोहिणी उत्तर पश्चिम दिल्ली, 110085

दिनांक: 21.02.2026,
स्थान: दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
आदित्य बिडला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

शुद्धिपत्र–विस्तार–बिक्री सूचना

ऋणशोधनक्षमता तथा दिवालिया संहिता 2016 के अंतर्गत परिसंपत्तियों का विक्रय
श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत)

कृपया **श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (परिसमापन में)** के खाते में बिक्री सूचना देखें, जो दिनांक **3 फरवरी 2026** को समाचार पत्रों फाइनेंशियल एक्सप्रेस **(दिल्ली एनसीआर संस्करण)**, जनसत्ता हिंदी **(दिल्ली एनसीआर संस्करण)**, बिजनेस स्टैंडर्ड अंग्रेजी **(दिल्ली एनसीआर संस्करण)** तथा बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी **(दिल्ली एनसीआर संस्करण)** में प्रकाशित की गई थी यह बिक्री बैकनेट नीलामी प्लेटफॉर्म (**https://baanknet.com**) पर **'ऑक्शन आईडी 2746' के अंतर्गत सूचीबद्ध है।**

यह सूचित किया जाता है कि परिसंपत्तियों की बिक्री स्थगित/विस्तारित की जा रही है और **अब ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2026** कर दी गई है। ई–नीलामी की तिथि और समय को भी बदलकर/बढ़ाकर **9 मार्च 2026 दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक कर दिया गया है।**

अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

नीलामी के विवरण/नियम तथा शर्तों के लिए कृपया पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया प्रलेख/ई–नीलामी प्रक्रिया ज्ञापन का संदर्भ ग्रहण करें।

विक्रय, ऋणशोधनाक्षमता तथा दिवालिया संहिता 2016 एवं विनियमावली के प्रावधानों के अधीन होगा।

हस्ता/–
पूजा बहरी
श्री बांकी बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का परिसमापक (परिसमापन में)
आईपी रजि. नं० IBBI/PA-003/IP-N000077/2016-2017/10063
एएफए नंबर: AA3/10063/02/311226/301367 दिनांक 31/12/2026 तक वैध
59/27, प्रभात रोड, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली–110005
फोन: 9811071716
ईमेल: Liquidation.shreebankeybehari@gmail.com,pujabahry@yahoo.com

दिनांक: 24 फरवरी 2026
स्थान: दिल्ली

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र I, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (6) के खंड (ए) के मामले में

और

के मामले में

मैसर्स सुनहरी यार्न्स एण्ड फाइबर्स प्राईवेट लिमिटेड
("द कम्पनी")
(CIN : U17290DL2012PTC241527)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : 344, सिरसपुर बादली नई दिल्ली–110042, इंडिया में स्थित है

.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 23.02.2026 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** में **शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, ईमेल आईडी : rd.ser@mca.gov.in, पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

पंजीकृत कार्यालय : 344, सिरसपुर बादली
नई दिल्ली–110042, इंडिया

कृते आवेदक की ओर से
मैसर्स सुनहरी यार्न्स एण्ड फाइबर्स प्राईवेट लिमिटेड

हस्ता/– राजेश गोयल (निदेशक) डीआईएन : 00264107
हस्ता/– रवि गोयल (निदेशक) डीआईएन : 02591125

तिथि : 24.02.2026
स्थान : नई दिल्ली

ताशकंद हैंडलूम्स प्राइवेट लिमिटेड

पंजिकृत कार्यालय: डब्ल्यूजेड – 410, सी–8, क्लॉक टॉवर के पास, हरि नगर, नई दिल्ली–110064
सीआईएन: U51909DL1996PTC077819,
ई–मेल आईडी:tashkandhandlooms@gmail.com

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी के पंजिकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (6) के खंड (ए) के मामले में

और

ताशकंद हैंडलूम्स प्राइवेट लिमिटेड पंजिकृत कार्यालय: डब्ल्यूजेड – 410, सी–8, क्लॉक टॉवर के पास, हरि नगर, नई दिल्ली–110064

.....आवेदक

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी पंजिकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **28 जनवरी, 2026** को आयोजित वार्षिक आम बैठक/असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** में **शिकायत दर्ज** कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति **क्षेत्रीय निदेशक के पते बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003,** पर इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उनके ऊपर उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
बोर्ड की ओर से
ताशकंद हैंडलूम्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./– तरुण कुमार (निदेशक) डीआईएन: 00561380
हस्ता./– अंजू सेठुजा (निदेशक) डीआईएन: 00561407

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 23.02.2026

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HeroHousing Finance

संपर्क पता: द्वितीय तल, ए–6, सेक्टर–4, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301
पंजीकृत कार्यालय: 09, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057
फोन: 011-49267000 | **टोल-फ्री नंबर:** 1800 212 8800
ई-मेल: customer.care@herohfl.com | **वेबसाइट:** www.herohousingfinance.com
सीआईएन: U65192DL2016PLC301148

कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों हेतु)

(परिशिष्ट IV के अनुसार, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित)

यह कि अधोहस्ताक्षरी, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित अनुसार मांग नोटिस जारी किए थे, जिनके द्वारा उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए आह्वान किया गया था।

उधारकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान न किए जाने के कारण, उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करें और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन नीचे उल्लिखित राशि तथा उस पर देय ब्याज एवं इत्तफाक ब्याज, प्रभार, लागत आदि के लिए **हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभाराधीन रहेगा, जो नीचे उल्लिखित तिथि से देय होगी।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षित संपत्तियों का विमोचन करने हेतु उपलब्ध समय का प्रावधान किया गया है।

ऋण खाता संख्या	देयकर्ता(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) का नाम	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जे की तिथि (प्रतीकात्मक/भौतिक)
HHFDELHOU 19000005092	रिम्पा कर्माकर, सुजय पारुई	21-अगस्त-2025 रु. 20,98,135/- (19-अगस्त-2025 तक देय)	20.02.2026 (भौतिक)

सुरक्षित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण:- प्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति संख्या E-67 के अंतर्गत पूरी तीसरी मंज़िल छत अधिकारों सहित, भूमि क्षेत्रफल 60 वर्ग गज, खसरा संख्या 15/9 में से, **गांव मटियाला कॉलोनी क्षेत्र में स्थित जिसे मानसाराम पार्क ब्लॉक ई, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059 के नाम से जाना जाता है, जिसकी चतुःसीमा इस प्रकार है: पूर्व:** संपत्ति का भाग, **पश्चिम:** प्लॉट संख्या 68, **उत्तर:** 20 फीट सड़क, **दक्षिण:** प्लॉट का भाग।

दिनांक: 24-02-2026,
स्थान: दिल्ली

हस्ता./–, अधिकृत अधिकारी
हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

केन फिन होम्स लिमिटेड

Can Fin Homes Ltd (Sponsor: CANARA BANK) HOME LOANS • SIPSOUL

आनंद प्लाजा, पहली मंजिल, छोटू राम चौक, रोहतक, हरियाणा–124001 ईमेल : **rohtak@canfinhomes.com**
मो. : **7625079178** फोन : **01262-257852**
CIN – L85110KA1987PLC008699

[नियम 9(1) के परंतुक देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **भौतिक** कब्जा **केन फिन होम्स लिमिटेड, रोहतक शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, **श्रीमती बबीता पत्नी राजेश और श्री राजेश पुत्र सतपाल निवासी** (उधारकर्ता) से केन फिन होम्स लिमिटेड की **23.02.2026** तक बकाया राशि **रु. 13,46,830/– (रुपए तेरह लाख छियालिस हजार आठ सौ तीस मात्र)** उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक **18